संख्या:111/2022/1733जे0/22-5-2022-300(13)/2017

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 *लखनऊ: दिनांक 29 अगस्त, 2022*

विषय- जिला कारागार वाराणसी के सिद्धदोष बंदी सदाबृक्ष केशरी पुत्र श्री पुनवासी के उपचार हेतु धनराशि रू0-2,25,000/- (रूपया दो लाख पच्चीस हजार मात्र) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-16711/सामा-1(5)/बं0चि0धना0-सदाबृक्ष/2022, दिनांक 26-05-2022 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-83/2022/1167जे0/22-5-22-300(13)/2017, दिनांक 11-07-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके जिला कारागार वाराणसी के सिद्धदोष बंदी सदाबृक्ष केशरी पुत्र श्री पुनवासी का उपचार बी0एच0यू0, वाराणसी में कराये जाने हेतु धनराशि रू0-2,25,000/- (रूपया दो लाख पच्चीस हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-26816/सामा-1(5)/उपचार/2022, दिनांक 22-08-2022 में प्राप्त सूचना अनुसार प्रश्नगत बंदी दिनांक 22-07-2022 को जमानत पर कारागार से रिहा कर दिया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तथ्यों के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिला कारागार वाराणसी के सिद्धदोष बंदी सदाबृक्ष केशरी पुत्र श्री पुनवासी का उपचार बी0एच0यू0, वाराणसी में कराये जाने हेतु धनराशि रू0-2,25,000/- (रूपया दो लाख पच्चीस हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-83/2022/1167जे0/ 22-5-22-300(13)/2017, दिनांक 11-07-2022 एतदद्वारा निरस्त किया जाता है। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

संख्या-111/2022/1733जे0(1)/22-5-2022, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
3- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
4- अधीक्षक, जिला कारागार वाराणसी।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रामध्यान रावत
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।